न्यायालयः सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज, जिला बारां (राज.)
पीठासीन अधिकारी- श्री लोकेन्द्र चौधरी, आर.जे.एस.

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या	-	553/2015
सी.आई.एस नंबर	-	570/2015
CNR No.	-	RJBR130006362015
निर्णय दिनाँक	-	19.03.2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	-	132/2015
पुलिस थाना	-	नाहरगढ़, जिला बाराँ (राज.)

अपराध अंतर्गत धारा 5, 8, 9 राजस्थान गौवंशीय अधिनियम 1995

PART-I

(A)

अभियोगी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री टीकाराम मीना, विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित।
अभियुक्तगण	(1) प्रहलाद पुत्र गोपाल, उम्र 34 वर्ष, निवासी- जालिय III थाना केकड़ी, जिला अजमेर (राज.) (2) छीतर पुत्र छोगा, उम्र 56 वर्ष, निवसी- मोत्याड़ा, थाना सांवर, जिला अजमेर (राज) (3) आशाराम पुत्र देवकरण, उम्र 31 वर्ष, निवासी- पारा, थाना केकड़ी, जिला अजमेर (राज.) (4) नानक पुत्र जगदीश, उम्र 46 वर्ष, निवासी- मन्डा, थाना केकड़ी, जिला अजमेर (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	(1) श्री पोरस सिंह, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त क्रम 02 की ओर से। (2) श्री घनश्याम गर्ग, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण क्रम 01, 03 व 04 की ओर से।

(B)

अपराध की दिनाँक		22.09.2015
एफ.आई.आर. की दिनाँक		22.09.2015
आरोप पत्र की दिनाँक		06.11.2015
आरोप सुनाये जाने की दिनाँक		19.05.2025 व 28.01.2026
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		19.03.2026
निर्णय सुनाने की दिनाँक		19.03.2026
दण्डादेश (यदि हो तो)	**सुनवाई की दिनाँक**	-

(C)

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	प्रथम गिरफ्तारी	प्रथम बार जमानत	आरोपित अपराध	दोषसिद्धि या	दण्डादेश या	अभिरक्षा में बिताई

		की दिनाँक	पर बाहर आने की दिनाँक		दोषमुक्त	परिवीक्षा आदेश का विवरण	अवधि
01.	प्रहलाद	22.09.15	26.09.15	5, 8, 9 राजस्थान गौवंशीय अधिनियम 1995 व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960	दोषमुक्त	-	दि. 22.09.15 से 26.09.15 तक, दि. 06.05.25 से 14.05.25 तक
02.	छीतर	22.09.15	26.09.15	5, 8, 9 राजस्थान गौवंशीय अधिनियम 1995 व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960	दोषमुक्त	-	दि. 22.09.15 से 26.09.15 तक, दि. 28.01.26 से 19.03.26 तक
03.	आशाराम	22.09.15	26.09.15	5, 8, 9 राजस्थान गौवंशीय अधिनियम 1995 व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960	दोषमुक्त	-	दि. 22.09.15 से 26.09.15 तक, दि. 06.05.25 से 14.05.25 तक
04.	नानक	22.09.15	26.09.15	5, 8, 9 राजस्थान गौवंशीय अधिनियम 1995 व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960	दोषमुक्त	-	दि. 22.09.15 से 26.09.15 तक, दि. 06.05.25 से 14.05.25 तक

PART-II

साक्षियों की सूचीः अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
PW-1	विजय कुमार	जप्ती साक्षी/मौका साक्षी
PW-1(1)	विजय कुमार	जप्ती साक्षी/मौका साक्षी
PW-2	महिपाल सिंह	जप्ती साक्षी/मौका साक्षी
PW-2(a)	महिपाल सिंह	जप्ती साक्षी/मौका साक्षी
PW-3	केसरीलाल	अन्य साक्षी
PW-3(a)	केसरीलाल	अन्य साक्षी
PW-4	देवकरण	पुलिस साक्षी
PW-5	राजकुमार	पुलिस साक्षी
PW-6	हजारी	अन्य साक्षी
PW-7	गणपत सिंह	जप्तीकर्ता

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूचीः अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
01.	प्र. पी.1 पी.ड.01, 02, 07	फर्द चैकिंग एवं जप्ती
02.	प्र. पी.2 पी.ड.01, 02, 07	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी छीतर
03.	प्र. पी.3 पी.ड.01, 02, 07	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी नानक
04.	प्र. पी.4 पी.ड.01, 02, 07	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी प्रहलाद
05.	प्र. पी.5 पी.ड.01, 02, 07	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी आशाराम
06.	प्र. पी.6 पी.ड.01, 02, 04, 07	फर्द नक्शा मौका व निरीक्षण घटनास्थल
07.	प्र. पी.7 पी.ड.06	पुलिस बयान गवाह हजारी
08.	प्र. पी.8 पी.ड.07	चाक एफ.आई.आर.
09.	प्र. पी.9 पी.ड.07	नकल रपट संख्या 691 दि. 22.09.15
10.	प्र. पी.10 पी.ड.07	मालखाना रजिस्टर की प्रति

11.	प्र. पी.11 पी.ड.07	नकल रपट संख्या 714 दि. 23.09.15
12.	प्र. पी.12 पी.ड.07	नकल रपट संख्या 746 दि. 24.09.15

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	निल	

(C) न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	निल	

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर क्रमांक एवं वर्णन
	निल		

निर्णय **दिनाँकः 19.03.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य फर्द चैकिंग एवं जप्ती प्रदर्श पी.1 के अनुसार इस प्रकार हैं कि दिनाँक 22.09.2015 को केसरीलाल ने जरिये टेलीफोन एस.एच.ओ. गणपत सिंह को सूचना दी। मुताबिक सूचना एस.एच.ओ. गणपत सिंह ने मय जाप्ता थाने से रवाना होकर गुना रोड़ पर थाने के सामने नाकाबंदी शुरू की। समय 06.50 पी.एम. पर बस स्टैण्ड नाहरगढ़ की तरफ से दो पिकअप वाहन बोलेरो नंबर RJ 48 GA 0197, RJ 48 GA 0258 आयी, जो गुना की तरफ जा रही थी, जिन्हें रोककर चैक किया तो वाहन वाहन RJ 48 GA 0197 में ड्राइवर प्रहलाद मिला व बगल में पशु मालिक छीतर बैठा मिला। चैक किया तो इस पिकअप में 3 बड़ी गायें, एक बछड़ा व एक बछड़ी कुल 5 गौवंश ठूँस-ठूँस कर भरे मिले। दूसरी पिकअप RJ 48 GA 0258 में चालक आशाराम व पशु मालिक नानक मिला और पिकअप को चैक किया तो 3 गायें मय एक बछड़ा कुल 4 गौवंश ठूँस-ठूँस कर भरे मिले। दोनों वाहनों में भरे पशु हिलने-डूलने या उठने-बैठने की स्थिति में नहीं थे। दोनों ड्राइवरों व पशु मालिकों से पूछने पर गौवंशों को गुना (एम.पी.) ले जाना बताया। अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। गौवंशों को बतौर वजह सबूत जप्त किया। मुलजिमान को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया। वापसी थाना पर मुकदमा दर्ज करवाया व जप्तशुदा दोनों पिकअप वाहन व गौवंश पशुओं को थाना परिसर में रखा गया.....इत्यादि। उक्त के आधार पर पुलिस थाना नाहरगढ़, जिला बारां (राज.) पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 132/2015 अंतर्गत धारा 5, 8, 9 राजस्थान गौ हत्या निवारण (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का वनियमन) अधिनियम 1995 के तहत पंजीबद्ध की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण प्रहलाद, छीतर, आशाराम व नानक के विरूद्ध अंतर्गत धारा 5, 8, 9 राजस्थान गौवंशीय अधिनियम 1995 व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत न्यायालय में आरोप

पत्र पेश किया। न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा 5, 8, 9 राजस्थान गौवंशीय अधिनियम 1995 में आरोपों को पृथक-पृथक से लिखित रूप में विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोपों को सुन व समझकर आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन की ओर से उपरोक्त वर्णित साक्ष्य पेश की गई।

4. अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना तथा रंजिशवश झूँठा फँसाना बताया तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गई।

5. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि अभियुक्तगण को दौराने नाकाबंदी गौवंशों का परिवहन कर राजस्थान से मध्यप्रदेश ले जाते हुए पकड़ा गया है तथा गौवंशों के परिवहन बाबत् उनके पास कोई अनुज्ञा पत्र नहीं था। सभी गवाहान से इस तथ्य की ताईद की है कि अभियुक्तगण से गौवंश बरामद हुए हैं। इसलिए दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

6. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने कथन किया कि अभियुक्तगण को झूंठा फँसाया गया है। प्रकरण केसरीलाल की सूचना पर दर्ज हुआ है। गवाह केसरीलाल सूचना फोन से देना बताता है, परंतु किसको दी यह नहीं बताता है। गवाह पी.ड.07 गणपत सिंह सूचना कैसे दी, पता नहीं होना बताता है। पत्रावली पर गायों के फोटोग्राफस व पिकअप के फोटो है, परंतु गाड़ी में गायें हों, ऐसा कोई फोटो पेश नहीं किया गया है। गवाह पी.ड.03 केसरीलाल कथन करता है कि वह थाने पर गया था, परंतु उसको जप्ती का गवाह नहीं बनाया। अनुसंधान अधिकारी ने इसका कोई कारण नहीं बताया है। जप्ती का गवाह पी.ड.01 विजय कुमार गायों की संख्या, रंग नहीं बताता है। सभी गवाहान इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके द्वारा गायों का कोई मेडिकल नहीं करवाया गया है तथा गायें दूध देने वाली थी, जिनमें से 2 गायों ने जप्ती के पश्चात थाने में ही बछड़ों को जन्म दिया था। इस प्रकार सभी गायें दूध देने वाली थी, जो काफी कीमत की थी, उनको खरीद कर अभियुक्तगण लेकर जा रहे थे। अभियुक्तगण वध करने के लिए लेकर जा रहे हों, ऐसा कथन किसी भी साक्षी ने अपने बयानों में नहीं किया है। गायों को कोई उपहति कारित हुई हो, इस संबंध में कोई कथन गवाहान नहीं करते हैं, न ही गायों का मेडिकल करवाया गया है। गवाहान की साक्ष्य में विरोधाभास है, जिससे अभियोजन कहानी में संदेह उत्पन्न होता है। इसलिए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

7. उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न हैं:-

(1) क्या दिनाँक 22.09.2015 को समय 07.00 पी.एम. पर दौराने गश्त पुलिस थाना नाहरगढ़ ने अभियुक्तगण से दो पिकअप वाहन RJ 48 GA 0197 व RJ 48 GA 0258 को जप्त किया, पिकअप नंबर RJ 48 GA 0197 को चैक किया तो उसमें 3 बड़ी गायें, एक बछड़ा व एक बछड़ी कुल 5 गौवंश तथा पिकअप नंबर RJ 48 GA 0258 को चैक किया तो उसमें 3 गायें व एक बछड़ा कुल 4 गौवंश मिले, जो कि अभियुक्तगण ने ठूँस-ठूँस कर निर्दयतापूर्वक भरकर गौवंश के साथ शारीरिक पीड़ा कारित कर उपहति कारित की तथा उक्त गौवंशों को बिना अनुज्ञा पत्र के यह जानते हुए कि उक्त गौवंश का वध किया सकता है, राजस्थान के भीतर से राज्य के बाहर निर्यात हेतु परिवहन किया ?

(2) यदि हाँ, तो उचित दण्ड क्या होगा ?

8. सुना गया, बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि प्रकरण फर्द जप्ती व चैकिंग प्रदर्श पी.1 के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें केसरीलाल द्वारा दिनाँक 22.09.2015 को शाम को एस.एच.ओ. गणपत सिंह को सूचना दी जाती है कि भँवरगढ़ की तरफ से 2 पिकअप वाहन आ रहे हैं, जिसमें गायें ठँस कर निर्दयतापूर्वक भरी हुई है, जिसपर एस.एच.ओ. गणपत सिंह द्वारा मय जाप्ता थाने के सामने नाकाबंदी शुरू की जाती है और दो पिकअप बोलेरों वाहन नंबर RJ 48 GA 0197, RJ 48 GA 0258 को रोककर कर चैक किया जाता है, जिसमें से गौवंशों को जप्त किया जाता है, जिसका कोई अनुज्ञा पत्र अभियुक्तगण के पास नहीं था। पत्रावली के ध्यानपूर्वक अवलोकन से उक्त अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से 10 गवाहान को पेश कर परीक्षित कराया गया है।

9. उक्त के संबंध में प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाह पी.ड.07 गणपत सिंह, जो जप्तीकर्ता है, ने फर्द जप्ती प्रदर्श पी.1 की ताईद करते हुए दौराने मुख्य परीक्षण कथन किया कि दिनाँक 22.09.2015 को थानाधिकारी नाहरगढ़ के पद पर पदस्थापित होने के दौराने केसरीलाल कुशवाह द्वारा उसे जरिये टेलीफोन सूचना देने पर उसने मुताबिक सूचना मय जाप्ता थाने के सामने गुना रोड़ पर नाकाबंदी प्रारंभ की। दौराने नाकाबंदी नाहरगढ़ की तरफ से दो पिकअप बोलेरो नंबर RJ 48 GA 0197, RJ 48 GA 0258 आये, जिन्हें रोककर चैक किया तो वाहन 0197 में ड्राइवर प्रहलाद बागरिया तथा बगल में पशु मालिक छीतर बागरिया मिला और पिकअप में 3 बड़ी गाय, एक बछड़ा व एक बछड़ी कुल 5 गौवंश ठूंस-ठूंस कर भरे हुए मिले। दूसरी पिकअप 0258 में चालक आशाराम बागरिया तथा पशु मालिक नानक बागरिया मिले तथा पिकअप में 3 गाय तथा एक

बछड़ा कुल 4 गौवंश ठूंस-ठूंस कर भरे मिले। दोनों ड्राइवरों व पशु मालिकों से पूछा तो गौवंशों को गुना ले जाना बताया, जिनसे अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया, जिस पर दोनों पिकअप तथा सभी गौवंशों को बतौर वजह सबूत जप्त कर मुलजिमान को जरिये फर्द गिरफ्तार किया। वापसी थाना पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान लालचंद हेड कानि. को सुपुर्द गिया। सुसंगत फर्दात पर उसके हस्ताक्षर हैं। **दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण में गवाह** ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि जप्ती के समय कोई पशु चिकित्सक को नहीं बुलाया, ना ही गायों व बछड़ों का मेडिकल करवाया था तथा मुलजिमान द्वारा गायों को गुना में ले जाया जाना बताया गया था। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि किस मोबाईल नंबर से गौवंश को ले जाने की सूचना मिली, वो मोबाईल नंबर इस पत्रावली में शामिल नहीं है। गवाह आगे इस सुझाव को भी स्वीकार करता है कि गायें स्वस्थ और दुधारू थीं, जिसमें 2 गायों ने तो थाना परिसर में ही बछड़ों को जन्म दिया।

10. इसके अतिरिक्त फर्द जप्ती के अन्य गवाह पी.ड.01 व पी.ड.01(1) विजय कुमार, पी.ड.02 व पी.ड.02(a) महिपाल सिंह और गवाह पी.ड.05 राजकुमार न्यायालय में परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में गवाह पी.ड.07 गणपत सिंह के समान ही फर्द जप्ती प्रदर्श पी.1 की पूर्ण ताईद करते हुए साक्ष्य दी हैं कि उक्त सुसंगत दिनाँक, समय व स्थान पर थानाधिकारी श्री गणपत सिंह को जरिये मोबाईल केसरीलाल से सूचना पर मिलने पर नाकाबंदी शुरू की तो गुना की तरफ से आती हुए बोलेरों पिकअप नंबर RJ 48 GA 0258, RJ 48 GA 0197 को थानाधिकारी ने रोककर चैक किया। पिकअप नंबर RJ 48 GA 0197 में ड्राइवर प्रहलाद व बगल में पशु मालिक छीतर बैठे मिले व पिकअप के अंदर 3 बड़ी गाय, एक बछड़ा, एक बछड़ी कुल 5 गौवंश भरे मिले। दूसरी पिकअप नंबर RJ 48 GA 0258 को चैक किया तो चालक आशाराम व पशु मालिक नानक बैठे मिले तथा पिकअप में 3 गाय व एक बछड़ा कुल 4 गौवंश भरे मिले, जिन्हें थानाधिकारी ने जरिये फर्द चैकिंग व जप्ती प्रदर्श पी.1 जप्त किया तथा मुलजिमान को जरिये फर्द गिरफ्तार किया। सुसंगत फर्दात पर अपने-अपने हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं।

11. **दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण में गवाह पी.ड.01 व पी.ड.01(1) विजय कुमार** बताता है कि उन्होंने दो पिकअप रूकवायी थी, जिसमें एक पिकअप RJ 48 GA 0192, जिसको प्रहलाद चला रहा था, जिसमें 3 बड़ी व दो छोटी गाय थी तथा दूसरी पिकअप नंबर RJ 48 GA 0172 को नानक चला रहा था, जिसमें 3 बड़ी गाय एक छोटी गाय थी तथा गायों का रंग उसे ध्यान नहीं है। गवाह आगे बताता है कि जप्ती व नक्शे मौके पर स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाये थे। गवाह इस सुझाव को स्वीकार करता है कि जिन गायों का परिवहन करके लाये थे, वे सभी दुधारू गायें थीं तथा गाय बछड़े वाली थी और इनको दूध के लिए खरीद कर लेकर आये थे।

12. **दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण में गवाह पी.ड.02 व पी.ड.02(a) महिपाल** इस सुझाव को स्वीकार करता है कि गौवंश के मालिक वे स्वयं ही थे, चोरी का माल नहीं था तथा गौरक्षक केसरीलाल द्वारा टेलीफोन पर एस.एच.ओ. साहब को सूचना देने के आधार पर पिकअप को रोककर चैक किया गया। गवाह इस सुझाव को स्वीकार करता है कि 3 बछड़े वाली थी, जो दुधारू थी, बाकि 3 बिना दूध देने वाली थी तथा अभियुक्तगण को क्या उद्देश्य था, उसे नहीं पता तथा पत्रावली में शामिल फोटो में गायें जमीन पर खड़ी हैं और बछड़े दूध पी रहे हैं। गवाह इस सुझाव को भी स्वीकार करता है कि जप्तशुदा गाय दुधारू थी, जिनके बछड़े साथ थे, जप्तशुदा गायें पालने वाली थीं तथा स्वस्थ व हृष्ट-पुष्ट थीं।

13. **दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण में गवाह पी.ड.05 राजकुमार** बताता है कि कुछ जानवर दुधारू थे व कुछ उनके बछड़े थे तथा जानवर कहाँ से लाये गए और कहाँ ले जाये जा रहे थे, इसकी जानकारी उनके द्वारा नहीं ली गई।

14. अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य गवाह पी.ड.03 व पी.ड.03(a) केसरीलाल है, जो अपने मुख्य परीक्षण में करीब 10 साल पहले थाने से सी.एल.जी. की मीटिंग से घर पर जा रहे होने पर नाहरगढ़ बस स्टैण्ड पर भँवरगढ़ की तरफ से दो पिकअप लोडिंग वाहन आते हुए दिखायी देने, जिनको रूकवाकर पुलिस वालों को सूचना देने, जिनमें ठूंस-ठूंस कर गौवंश भरे हुए होने, जिसमें गाय और बछड़े शामिल होने तथा रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद घर पर आ जाने की साक्ष्य देता है। **दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण में गवाह** इस सुझाव को स्वीकार करता है कि उसने लिखित में कोई सूचना नहीं दी थी, सूचना थाने में जाकर मुखजुबानी दी या मौखिक पता नहीं। गवाह आगे बताता है कि कितनी गायें, बछड़े थे, गिनती उसे पता नहीं है तथा पिकअप का मालिक एवं गायों का मालिक कौन था, उसे पता नहीं है।

15. गवाह पी.ड.04 देवकरण हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा पिकअप का स्वामी है, जो अपने मुख्य परीक्षण में उसके पास एक पिकअप RJ 48 GA 258 होने, जिसको उसके लड़के आशाराम के द्वारा चलाने, गाड़ी फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी.6 से सुपुर्दगी पर प्राप्त करने तथा दिनाँक 20.09.2015 को गाड़ी कौन ले गया था, उसे पता नहीं होने की साक्ष्य देता है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा अवसर दिये जाने के पश्चात भी इस गवाह से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

16. इसी प्रकार गवाह पी.ड.06 हजारी भी हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा पिकअप का स्वामी है, जो अपने मुख्य परीक्षण में करीब 10-12 साल पहले उसके पास महिंद्रा की पिकअप गाड़ी होने, जिसको किसी को किराये पर चलाने के लिए दे रखी होने तथा गाड़ी गलत काम में संलिप्त हुई हो तो उसे पता नहीं होने की साक्ष्य देता है। उक्त साक्षी पक्षद्रोही हुआ है, जिसने **दौराने जिरह सहायक अभियोजन अधिकारी** में पुलिस बयान प्रदर्श पी.7 का ए से बी भाग सुनकर ऐसा बयान देने से इंकार किया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा अवसर दिये जाने के पश्चात भी इस गवाह से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

17. इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान फर्द जप्ती प्रदर्श पी.1 की एक स्वर में ताईद करते हैं। गवाह पी.ड.01 विजय कुमार फर्द जप्ती प्रदर्श पी.1 का गवाह है, जो जप्ती की पूर्णतः ताईद करता है कि चारों अभियुक्तगण से कुल 9 गौवंश जप्त करने का कथन करता है। यह साक्षी अवश्य दौराने जिरह गायों के रंग ध्यान नहीं होना बताता है। गवाह पी.ड.02 महिपाल सिंह भी फर्द जप्ती प्रदर्श पी.1 का साक्षी है, जो भी गवाह पी.ड.01 के समान ही अभियुक्तगण से गौवंश जप्त करने का कथन करता है। गवाह पी.ड.05 राजकुमार भी अभियुक्तगण से कुल 09 गौवंश बरामद होने का कथन करता है। गवाह पी.ड.07 गणपत सिंह हस्तगत प्रकरण में जप्तीकर्ता है, जो अपने मुख्य परीक्षण में फर्द जप्ती प्रदर्श पी.1 की पूर्णतः ताईद करता है और अभियुक्तगण से कुल 09 गौवंश जप्तशुदा दोनों पिकअप से जप्त करने का कथन करता है। उक्त जप्ती के गवाहान से जप्ती के संबंध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा कोई सारवान जिरह नहीं की गई है। गवाह पी.ड.07 गणपत सिंह अपने मुख्य परीक्षण में केसरीलाल द्वारा उसे सूचना देना तथा केसरीलाल की इत्तला पर गौवंश जप्त करना बताता है। इस प्रकार जप्ती के संबंध में उक्त गवाहान की साक्ष्य में कोई विरोधाभास नहीं है। अतः अभियोजन यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण से दौराने गश्त उक्त पिकअप बोलेरों वाहन में से कुल 09 गौवंश जप्त किए गए थे।

18. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने दौराने बहस यह उज्र लिया है कि इस प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी नहीं है और सभी गवाहान पुलिसकर्मी हैं। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि केवल पुलिसकर्मी गवाहान होने मात्र से उनकी साक्ष्य में संदेह उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न न्याय निर्णयों में पुलिसकर्मियों की साक्ष्य को भी उतना ही वजनदार एवं विश्वसनीय माना है, जितना कि आम साक्षीगण की साक्ष्य का महत्व है, जब तक कि अभियुक्त यह साबित न कर दे कि उसे किसी रंजिशवश झूँठा फँसाया गया हो। इस संबंध में माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा भी विनिर्णय पारित किये गये हैं। पुलिसकार्मिकों की साक्ष्य के संबंध में वैसी ही उप-धारणा की जानी चाहिए, जैसी किसी अन्य गवाहों की साक्ष्य के संबंध में की जा सकती है, जब तक की अन्यथा साबित नहीं कर दिया जावे। पुलिसकर्मी साक्ष्य होने मात्र के आधार पर अभियुक्त को कोई लाभ प्राप्त नही होता है। हस्तगत प्रकरण में पुलिसकर्मी की साक्ष्य में एक समरूपता है और उनकी साक्ष्य में कोई विरोधाभास नहीं है।

19. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 5, 9 राजस्थान गौवंशीय पश अधिनियम 1995 का आरोप है। इस संबंध में राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 का अवलोकन किया गया।

20. धारा 5 राजस्थान गौवंशीय पशु अधिनियम, 1995 इस प्रकार है कि- **वध के प्रयोजन के लिए गौवंशीय पशु के निर्यात का प्रतिषेध और अन्य प्रयोजनों के लिए अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन-** कोई भी

व्यक्ति किसी भी गौवंशीय पशु का स्वयं या अपने एजेंट, नौकर या अपने निमित्त कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति के जरिये, वध के प्रयोजनों के लिए या यह जानकारी होते हुए कि उसका वध किया जा सकता है या किया जाना संभाव्य है, राज्य के भीतर के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर किसी भी स्थान को निर्यात नहीं करेगा और निर्यात नहीं करवायेगा।

21. इस प्रकार धारा 5 राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम, 1995 के अनुसार धारा 5 का अपराध तब गठित होता है, जब कोई व्यक्ति गौवंश को वध करने के प्रयोजन के लिए या यह जानकारी रखते हुए की उसका वध किया जा सकता है या किया जाना संभाव्य है, का परिवहन राज्य के बाहर करता है। इस संबंध में पत्रावली का पुनः ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो फर्द जप्ती प्रदर्श पी.1 में वर्णित किया गया है कि पिकअप नंबर RJ 48 GA 0179 से एक गाय, जिसके 6 दिन का बछड़ा है, दसूरी गाय, जिसके 3 दिन की बछड़ी है व एक अन्य गाय है। दूसरी पिकअप RJ 48 GA 0258 में एक गाय जिसके 3 दिन का बछड़ा, दूसरी गाय ग्याबन (वह गाय जो गर्भवती हो) व तीसरी गाय, जो भी ग्याबन है। पत्रावली पर गायों के फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं, परंतु उन्हें अभियोजन की ओर से प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। फोटोग्राफ्स में गायें स्वस्थ प्रतीत हो रही है और उनके छोटे-छोटे बछड़े हैं। आगे इस संबंध में नकल रपट रोजनामचाआम प्रदर्श पी.11 का अवलोकन किया गया तो दिनाँक 23.09.2015 को उसमें एक गाय द्वारा एक बछड़े को थाना परिसर में जन्म देना अंकित किया है। नकल रपट रोजनामाआम प्रदर्श पी.12 का अवलोकन किया गया तो उसमें दिनाँक 24.09.2015 को एक गाय द्वारा एक बछड़े को थाना परिसर में जन्म देना अंकित किया गया है। इस प्रकार उक्त दोनों गायें जिन्होंने थाना परिसर में ही बछड़ों को जन्म दिया है और इसके अतिरिक्त जो 3 गायें थीं, उन तीनों के साथ 3-4 दिन के छोटे बछड़े थे। इस प्रकार उक्त सभी गायें दूध देने वाली थी।

22. उक्त के संबंध में गवाह पी.ड.01 विजय कुमार स्पष्ट रूप दौराने प्रतिपरीक्षण इस सुझाव को स्वीकार करता है कि जिन गायों को परिवहन करके लाये थे, वे सभी दुधारू गायें थीं। गवाह पी.ड.02 महिपाल सिंह भी दौराने प्रतिपरीक्षण इस सुझाव को स्वीकार करता है कि तीन बछड़े वाली गायें थीं, जो दुधारू थी। गवाह पी.ड.01(1) विजय कुमार दौराने प्रतिपरीक्षण बताता है कि कुछ गायें दुधारू थीं। गवाह पी.ड.05 राजकुमार भी जानवर दुधारू होना बताता है। हस्तगत प्रकरण में जप्तीकर्ता गवाह पी.ड.07 गणपत सिंह दौराने प्रतिपरीक्षण इस सुझाव को स्वीकार करता है कि गायें स्वस्थ थीं और दुधारू थीं तथा दोनों गायों ने थाना परिसर में ही बछड़ों को जन्म दिया था और गायें पूर्णतः स्वस्थ थीं।

23. इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्तगण ने उक्त गायों को वध करने के प्रयोजन से ले जा रहे थे या यह संभाव्य जानते हुए कि उक्त गायों को वध किया जाना संभाव्य था, इसलिए परिवहन कर रहे हों। सामान्यतः ऐसी गायें, जो दुध दे रही हों और जिनके 2-4 दिन के बछड़े हो, उन गायों का वध नहीं किया जाता है,

क्योंकि उनकी कीमत काफी अधिक होती है। स्वयं गवाह पी.ड.03 केसरीलाल गायों की सूचना थाने पर देने कथन करता है और उक्त सूचना पर जप्ती बनायी जाती है। गवाह पी.ड.03(a) केसरीलाल कथन करता है कि ये लोग गायों की तस्करी करते थे और गौवंश को राजस्थान से एम.पी. में भेजते थे, परंतु उक्त साक्षी ने जिरह में स्पष्ट रूप से कथन करता गाय और बछड़े कितने थे, उसे नहीं पता। गवाह न तो मुलजिमान का नाम बताता है, न ही वह जप्ती के समय वहाँ उपस्थित था। गवाह सूचना देने के पश्चात वहाँ से चला जाता है।

24. संपूरण पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि किसी भी साक्षी ने गायों को वध किये जाने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा हो, ऐसा कथन नहीं किया है। जप्ती के सभी साक्षी स्पष्ट रूप से कथन करते हैं कि सभी गायें दुधारू थीं। नकल रपट रोजनामचाआम प्रदर्श पी.11 व प्रदर्श पी.12 के अवलोकन से साथ ही गवाह पी.ड.07 गणपति सिंह के बयानों से यह स्पष्ट है कि जप्तशुदा गायों में से 2 गायों ने थाना परिसर में बछड़ों को जन्म देती है। इस प्रकार अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया है कि अभियुक्तगण द्वारा सुसंगत दिनाँक व समय पर पिकअप नंबर RJ 48 GA 0197, RJ 48 GA 0258 में गायों का परिवहन उनका वध करने के प्रयोजन से किया जा रहा था।

25. अब हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण पर धारा 9 राजस्थान गौवंशीय पशु अधिनियम, 1995 का आरोप है। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 9 में प्रावधानित है कि-

<u>धारा 9(1)-</u> जो कोई किसी भी गौवंशीय पशु को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग-शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति कारित करता है।

<u>धारा 9(2)-</u> जो कोई किसी भी गौवंशीय पशु को साशय उपहति कारित करता है, वह दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्मान से, जो तीन हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

26. उक्त के संबंध धारा 9 राजस्थान गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 का अपराध तब गठित होता है जब कोई व्यक्ति गौवंशीय पशु को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग-शैथिल्य कारित करता है, तब कहा जाता है कि वह उपहति कारित करता है। हस्तगत प्रकरण में सभी गवाहान यह कथन करते हैं कि गौवंश पिकअप नंबर RJ 48 GA 0197 में 3 गायें, एक बछड़ा व एक बछड़ी व पिकअप नंबर RJ 48 GA 0258 में 3 गायें व एक बछड़ा ठूँस-ठूँस कर भरे हुए थे, परंतु किसी भी साक्षी ने पिकअप का कोई मेजरमेंट (लंबाई-चौड़ाई का नाप) नहीं बताया है, जिससे यह पता चल सके कि उक्त पिकअप में कितने गौवंश का आसानी से परिवहन किया जा सकता है। साथ ही गायों के शरीर पर किसी प्रकार की कोई उपहति कारित हुई हो, ऐसा किसी भी साक्षी ने कोई कथन नहीं किया है। पत्रावली पर संलग्न फोटोग्राफ्स में भी किसी भी गौवंश के शरीर पर चोट के निशानात नहीं हैं। जप्ती के पश्चात यदि गायों के कोई उपहति थी तो

उसके संबंध में जप्तीकर्ता द्वारा गायों का चिकित्सक द्वारा मेडिकल करवाया जाना चाहिए था। गायों का मेडिकल करवाया गया हो, इस संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। जप्ती के सभी गवाहान ने स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि जप्तशुदा गायों का कोई मेडिकल नहीं करवाया गया था।

27. इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण द्वारा गौवंशों का परिवहन किया जा रहा था और परिवहन में उनके द्वारा साशय कोई उपहति कारित की गई हो, ऐसा भी किसी साक्षी ने अपने बयानों में कथन नहीं किया है, न ही इस संबंध में फर्द जप्ती प्रदर्श पी.1 में वर्णन है कि साथ ही किसी भी गाय अथवा बछड़ों के शरीर पर चोट व उपहति के निशानात थे। इस प्रकार प्रकरण में संदेह उत्पन्न होता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहाँ प्रकरण में संदेह होता है, उसका लाभ अभियुक्त का दिया जाना चाहिए।

28. अतः अभियोजन इस तथ्य संदेह से परे साबित करने में **असफल** रहा है कि दिनाँक 22.09.2015 को समय 07.00 पी.एम. पर दौराने गश्त पुलिस थाना नाहरगढ़ ने अभियुक्तगण से दो पिकअप वाहन RJ 48 GA 0197 व RJ 48 GA 0258 को जप्त किया, पिकअप नंबर RJ 48 GA 0197 को चैक किया तो उसमें 3 बड़ी गायें, एक बछड़ा व एक बछड़ी कुल 5 गौवंश तथा पिकअप नंबर RJ 48 GA 0258 को चैक किया तो उसमें 3 गायें व एक बछड़ा कुल 4 गौवंश मिले, जो कि अभियुक्तगण ने ठूँस-ठूँस कर निर्दयतापूर्वक भरकर गौवंश के साथ शारीरिक पीड़ा कारित कर उपहति कारित की तथा उक्त गौवंशों को बिना अनुज्ञा पत्र के यह जानते हुए कि उक्त गौवंश का वध किया जा सकता है, राजस्थान के भीतर से राज्य के बाहर निर्यात हेतु परिवहन किया। अतः **अभियुक्तगण प्रहलाद, छीतर, आशाराम व नानक** को आरोपित **अपराध अंतर्गत धारा 5, 8, 9 राजस्थान गौवंशीय अधिनियम 1995** के आरोपों से **संदेह का लाभ** दिया जाकर **दोषमुक्त** किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-आदेश-

29. परिणामस्वरूप **अभियुक्तगण क्रम 01.** प्रहलाद पुत्र गोपाल, उम्र 34 वर्ष, निवासी- जालिय III थाना केकड़ी, जिला अजमेर (राज.), **02.** छीतर पुत्र छोगा, उम्र 56 वर्ष, निवसी- मोत्याड़ा, थाना सांवर, जिला अजमेर (राज), **03.** आशाराम पुत्र देवकरण, उम्र 31 वर्ष, निवासी- पारा, थाना केकड़ी, जिला अजमेर (राज.) व **04.** नानक पुत्र जगदीश, उम्र 46 वर्ष, निवासी- मन्डा, थाना केकड़ी, जिला अजमेर (राज.) को अपराध अंतर्गत **धारा 5, 8, 9 राजस्थान गौवंशीय अधिनियम 1995** के आरोपों से **संदेह का लाभ** दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

30. हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पिकअप महिन्द्रा रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 48 GA 0258 को वाहन स्वामी देवकरण पुत्र नानगा, निवासी- पारा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर (राज.) को तथा पिकअप महिन्द्रा रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 48 GA 0179 को वाहन स्वामी हजारी बागरिया पुत्र रामनाथ, निवासी- कोहड़ा रेगर मौहल्ला, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर (राज.) को सुपुर्दगी पर दिये हुए हैं, जो

उन्हीं के पास रहे। बाद गुजरने मियाद अपील सुपुर्दगीनामे व जमानतनामे निरस्त समझे जावें।

31. अभियुक्तगण की नियमित हाजरी बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है। अभियुक्तगण को धारा 437(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार इस निर्णय के विरूद्ध दाखिल किसी अपील या याचिका के संबंध में अगले अपीलीय न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के संबंध में 10,000-10,000/- रुपये की प्रत्येक की जमानत व इसी राशि का प्रत्येक का मुचलका पेश कर तस्दीक करावें। उक्त जमानत मुचलके 06 माह तक प्रवृत्त रहेंगे।

(लोकेन्द्र चौधरी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज, जिला बाराँ (राज.)

32. निर्णय आज दिनाँक 19.03.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोकेन्द्र चौधरी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज, जिला बाराँ (राज.)